झारखण्ड सरकार

विधि (विधान) विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015

<u>विषय-सूची</u>

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।
2. झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम-8,1953 की धारा-14 का संशोधन

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2015

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत के गणतंत्र के 66वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना**–

   (i) यह अधिनियम झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम(झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

   (iii) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे झारखण्ड सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 8, 1953 की धारा–14 का संशोधन**

   उक्त अधिनियम, 1953 की धारा–14 के परन्तुक में निम्नलिखित शब्द अंतर्स्थापित किये जायेंगे :–

   "यदि राज्य सरकार किये जाने वाले कार्य की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों से संतुष्ट है कि किसी महिला कर्मचारी की कार्यावधि का विनियमन युक्तिसंगत नहीं है, तो वह किसी प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठान कोटि के लिए लिखित आदेश से उपर्युक्त प्रावधानों को शिथिल या रूपांतरित कर सकेगी।

   बर्शत्ते कि किसी आदेश को निर्गत करने के पूर्व महिला कर्मचारी की सुरक्षा एवं कल्याण का समुचित ध्यान रखा जायेगा।"

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा–14 की वर्तमान में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी अल्पव्यस्क व्यक्ति अथवा महिला से किसी कर्मचारी या अन्य रूप में 8:00 बजे पूर्वाह्न से पहले या 10:00 बजे रात्रि के बाद कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे स्वीकृति नहीं दी जायेगी। राज्य सरकार सभी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं कल्याण को अक्षुण्ण रखते हुए सभी को नियोजन के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है।

यह विधेयक इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत है तथा यही इसका अभीष्ट है।

(राज पलिवार)
(भारसाधक मंत्री)

झा०रा०मु०राँची 14 (A) (विधि) 170–20–08–2015 ।